

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 12/2020

निर्णय दिनांक —10.06.2020

श्री दीपक पिता महेश प्रकाश शारदा जाति माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. श्री मोहन पिता गमेरा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी मकनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. श्री घीसादास पिता मुरलीदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी मकनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मकनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 24 की आराजी नं0 68 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, आराजी नं0 71 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर, की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/— रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मकनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 24 की आराजी नं0 68 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, आराजी नं0 71 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर, की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

